

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २२२] नई दिल्ली, शनिवार, जून १६, १९७३/ज्याइस्ट २६, १८९५

No. 222] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 16, 1973/JYAISTHA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

INSURANCE

New Delhi, the 16th June 1973

S.O. 343(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Emergency Risks (Goods) Insurance Act, 1971 (50 of 1971), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 5483, dated the 10th December, 1971, namely:—

- (1) This Scheme may be called the Emergency Risks (Goods) Insurance (Second Amendment) Scheme, 1973.
- (2) It shall come into force on the 1st day of July, 1973.

2. In the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme, for sub-paragraph (1) of paragraph 10, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(1) The premium payable under any policy of insurance in respect of the quarter ending on the 30th day of September, 1973, shall,—

(a) in respect of a policy of insurance in force on the 30th June, 1973, be nil;

(b) in the case of all new policies, including supplementary policies to the existing ones, be at the rate of six paise for every hundred rupees or any part thereof of the sum insured.”

[No. F. 66(1)-Ins.1/73-1.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

बीमा

नई दिल्ली, 16 जून, 1973

का० आ० 343 (अ).—आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 50) का धारा 5 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) का तारीख 10 सितम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० का० आ० 5483 के साथ प्रकाशित आपात जोखिम (माल) बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिये एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाता है, अर्थात् —

(1) इस स्कीम का नाम आपात जोखिम (माल) बीमा (द्वितीय संशोधन) स्कीम, 1973 होगा।

(2) यह जुलाई 1973 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी।

2. आपात जोखिम (माल) बीमा स्कीम में, पैरा 10 के उपपैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(1) बीमा की किसी पालिसी के अधीन सितम्बर 1973 के तीसरे दिन को समाप्त होने वाली निमाही की बाबत संदेय प्रीमियम,

(क) 30 जून 1973 को प्रवृत्त बीमा की पालिसी की बाबत शून्य होगा ;

(ख) सभी नई पालिसियों की दशा में, जिनके अन्तर्गत विद्यमान, पालिसियों की अनुपूर्वक पालिसिया भी आती है, बीमाकृत राशि के प्रत्येक सौ रुपये या उसके किसी भाग के लिये छह पैसे की दर पर होगा।”

[सं० का० 66(1)—बीमा 1/73—]

S.O. 344(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 3 of the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Act, 1971, (51 of 1971), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department

of Revenue and Insurance) No. S.O. 5486, dated the 10th December, 1971, namely:—

- (1) This Scheme may be called the Emergency Risks (Undertakings) Insurance (Second Amendment) Scheme, 1973.
- (2) It shall come into force on the 1st day of July, 1973.

2. In the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme, for sub-paragraph (1) of paragraph 8, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

- “(1) The premium payable under any policy of insurance in respect of the quarter ending on the 30th day of September, 1973, shall,—
- (a) in respect of a policy of insurance in force on the 30th June, 1973, be nil;
 - (b) in the case of all new policies, including supplementary policies to the existing ones, be at the rate of ten paise for every hundred rupees or any part thereof of the sum insured.”

[No. F. 66(1)-Ins.1/73-II.]

C. S. ANANTAPADMANABHAN,
Officer on Special Duty & *Ex-Officio* Jt. Secy.

का० आ० 343 (अ).—आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 10 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० का० आ० 5486 के साथ प्रकाशित आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा स्कीम में और संशोधन करने के निम्ने पुनर्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इस स्कीम का नाम आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (द्वितीय संशोधन) स्कीम 1973 होगा।
- (2) यह जुलाई 1973 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी।

2 आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा स्कीम में, पैरा 8 के उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

- “(1) बीमा की किसी पालिसी के अधीन, सितम्बर, 1973 के तीसरे दिन को समाप्त होने वाली तिमाही की बाबत संदेय प्रीमियम,
- (क) 30 जून 1973 को प्रवृत्त बीमा की पालिसी का बाबत, शून्य होगा ;
 - (ख) सभी नई पालिसियों की दशा में, जिनके अन्तर्गत विद्यमान पालिसियों की अनुपूरक पालिसियां भी आती हैं, बीमाकृत राशि के प्रत्येक सौ रुपये, या उसके किसी भाग के लिए दस पैसे की दर पर होगा।

[सं० का० 66(1)-बीमा 1/73-II]

सी० एम० अनंतपद्मनाभन,
विशेष कार्य अधिकारी और पदेन संयुक्त सचिव।

